प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 18.10.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- थाना गलशहीद पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के 02 लाख, 2000/-रुपये किये बरामदः-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2024 को वादी मौ0 अकबर पुत्र गुलाम अहमद निवासी असालतपुरा थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा रात्रि में वादी के घर में घुसकर बक्शे में रखे तीन लाख साठ हजार रूपये बक्शे सहित चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गलशहीद पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 162/2024 धारा- 331(4)/305(a) BNS बनाम मौ0 सलीम आदि के पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 सौरभ त्यागी थाना प्रभारी गलशहीद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी मौ0 सलीम पुत्र मौ0 जमील निवासी प्रिन्स रोड थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी के 02 लाख 2000/- रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) BNS की वृद्धि की गयी। तथा एक मोटरसाईकिल बिना नम्बर को सीज किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 सौरभ त्यागी थाना प्रभारी गलशहीद

2-उ0नि0 कृष्णकुमार सिंह ,

3-हे0का0 शाकिर अली,4- कां0 रोहित कुमार, थाना गलशहीद, मुरादाबाद

2- हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार थाना छजलैटः-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.2024 को वादी कल्लू सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी ग्राम मथाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ने वादी के भतीजे राजू उर्फ राजवीर व उसकी पत्नी मे झगडा होना व गम्भीर चोट आने के कारण राजू की मृत्यु होने जाने के संबंध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 218/2024 धारा 105 बीएनएस बनाम बेबी पत्नी राजू उर्फ राजवीर निवासी उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आरोपिता बेबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तथा संकलित साक्ष्यो के आधार पर उल्लेखित तथ्य प्रकाश में आये कि आरोपिता बेबी पत्नी राजू उर्फ राजवीर उपरोक्त व त्रिलोकी पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम मथाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद के द्वारा राजू उर्फ राजवीर की हत्या की गयी है। आज दिनांक 18.10.2024 को उपनिरीक्षक रामकुमार सोम थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिस के प्रकाश मे आये अभियुक्त त्रिलोकी पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम मथाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा- 105 बीएनएस का विलोपन करते हुये धारा- 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3- गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित आरोपी गिरफ्तार थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2024 को श्री बिजेन्द्र सिहँ तत्कालीन थाना प्रभारी भोजपुर, मुरादाबाद नें साक्ष्यो/गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर भौतिक/बुनियादी लाभ हेतु गौकशी जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 306/2024 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अशोक आदि के पंजीकृत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध /अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व वांछित अपराधियो की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक शरद मलिक थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अशोक पुत्र मुखल सिँह निवासी दुर्गानगर थाना कुण्डा जिला उधमसिँहनगर (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश पुलिस